उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–98/2023–24

सरकार

बनाम

सुबोध यादव एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/3/24

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला गोड्डा थाना काण्ड संख्या–217/2023 दिनांक–21.08.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–328/अप0शा0 दिनांक–29.01.2024 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या–JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या –JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज

(विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या –JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686 एवं 3. ट्रै र निबंधन संख्या–JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य ाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या –JH17ATC-0002, के मालिक सुबोध यादव, पिता–वकील यादव, सा0–बेलारी, पो0–पथरा, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या –JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686, के मालिक नवीन कापरी, पिता–नागेश्वर कापरी, सा0–हरीपुर, थाना–गोड्डा मुफस्सिल, जिला–गोड्डा एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–. 7L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940, के मालिक कुन्दन कुमार साह, पिता–जयकान्त साह, सा0–चिलरा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा, के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या–JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940 तथा उस पर लदे बालू के विरूद्ध धारा –379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया है।

विपक्षी सुबोध यादव, नवीन कापरी एवं कुन्दन कुमार साह के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा अग्रिम जमानत दे दिया गया है। अग्रिम जमानत

आवेदन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि जप्त वाहन पूर्व में किसी भी अपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा है। इसलिए विपक्षी को खनन अधिनियम के तहत जुर्माना की राशि जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर माननीय न्यायाधीश, गोड्डा के द्वारा दिये गये आदेश पर जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है। इसलिए विपक्षी के जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर गोड्डा नगर थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0–3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0–BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या–JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17R-1581), टेलर निबंधन संख्या–JH17N-8686 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या–JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या–JH17N-4940, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने के कारण जप्त किया गया है। जप्ती के समय विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैध ढंग से बालू का परिवहन किया जा रहा था। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में

संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्पता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
3100FLU24A1	00	100	4000.00	8000.00	00	8000.00
JH17R-1581	02	100	4000.00	8000.00	100000.00	108000.00
JH17L-8490	02	100	4000.00	8000.00	100000.00	108000.00

एवं एक—एक लाख रू0 का जमानत बंध—पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक—एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (इंजन नं0—3100FLU24A1139608F18, चेचिस नं0—BZJSJ1148296S3), टेलर निबंधन संख्या—JH17ATC-0002, 2. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17R-1581, टेलर निबंधन संख्या—JH17N-8686 एवं 3. ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17L-8490, टेलर निबंधन संख्या—JH17N-4940, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक—एक लाख रू0 का जमानत बंध—पत्र तथा एक—एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 13:40:16 +05:30
Location: 192.168.1.54

उपायुक्त,
गोड्डा।

Confiscation No. 98-2023-24